कार्यालय जिला पंचायत, गोण्डा।

पत्रांक : 157 /सम्पत्ति लि0/जि0पं0गो0/2022–2023 दिनांक: 05 जुलाई, 2022

मैसर्स सुषमा इन्स्टीट्यूट
ऑफ मेडिकल एण्ड हायर
स्टडीज, गंगरौली
बेलसर जनपद गोण्डा।

आप द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.2022 का सन्दर्भ लें, जिसके साथ संलग्न मौजा–गंगरौली परगना (ग्वारिच) व तहसील तरबगंज जिला गोण्डा की भूमि गाटा संख्या–1807/1.0760 हे0 भूमि पर सुषमा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हायर स्टडीज, गंगरौली बेलसर जनपद गोण्डा मे निर्माण कराये जाने हेतु मानचित्र एवं स्वंय संगत अभिलेख संलग्न कर मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया था, जनपद–गोण्डा के ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित होने वाले सभी प्रकार के भवनो एव निर्माण को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से प्रचलित उपविधि के अनुसार आवास बनाये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है,जो निम्नवत है :–

1. अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृत हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है, अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। इस कारण परियोजना के निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है, अथवा सील किया जा सकता है।
2. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि मानचित्र स्वीकृत के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एव अन्य विभागों से यथा आवश्यक धारा–80सी के अन्तर्गत अकृषि घोषणा एवं लाइसेंन्स/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक/निर्माणकर्ता की होगी।
3. प्रस्तावित भवन निर्माण से सम्बन्धित भवन सामग्री किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नही की जायेगी।
4. प्रस्तावित भवन मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल–1995 के नियमानुसार यथावत लागू होगा। सडक किनारे प्रस्तावित निर्माण का अनापत्ति प्रमाण–पत्र सड़क से सम्बन्धित विभाग से स्वामी का स्वयं लेना होगा।
5. जल–मल की निकासी की समुचित व्यवस्था स्वामी को स्वंय करनी होगी जो निकासी मार्ग की ओर नही होगी।
6. स्वीकृति नक्शें के अनुरूप ही निर्माण कार्य करना होगा।
7. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृति मानचित्र में किसी पूर्व सूचना क नक्शों/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नही किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत, गोण्डा से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
8. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि कम से कम 100वर्गमीटर क्षेत्रफल प्रति वृक्ष के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
9. प्रचलित उपविधि के खण्ड–घ तकनीकी अनुदेशों व खण्ड(ङ) हारवेस्टिंग सिस्टम रेन वाटर की स्थापना स्वामी को स्वयं करनी होगी।
10. स्वामी द्वारा उपनियम मे प्रविधानित व्यवस्था अनुरूप अग्नि शमन सुरक्षा एवं सर्विसेज तथा अग्निशमन पद्धति तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच द्वारा रिट याचिका संख्या–5696 एम बी0/2006 में पारित दिशा–निर्देश (छायाप्रति संलग्न) का

अनुपालन करते हुए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से यथा आवश्यकता लाइसेंस/अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त ही शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण संचालन किया जायेगा।

11 भवन भूकम्प–रोधी विशिष्टियों पर बनाना होगा।

12 भवन निर्माण भवन के उद्देश्य की क्षमता अनुरूप विशिष्टियों पर निर्मित करना होगा।

13 प्रस्तावित भवन के निर्माण में किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, गोण्डा उत्तरदायी नहीं होगा।

14 स्वीकृति मानचित्र मात्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

15 प्रतिबन्ध रहेगा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगा।

16 प्रतिबन्ध यह रहेगा कि शोरूम/वेयर हाउस निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुये आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग का भूखण्ड स्वामी द्वारा करना होगा।

17 अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृत हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है, अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है, अथवा सील किया जा सकता है।

18 प्रतिबन्ध यह रहेगा कि भवन निर्माण अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों (अनिवार्य रूप से) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य स्थल पर प्राप्त अनापत्ति के अनुसार कार्य कराया जायेगा।

19 प्रतिबन्ध रहेगा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगा।

20 प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रेनवाटर हार्वेटिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

21 प्रतिबन्ध यह रहेगा कि पार्टिकल बोर्ड उत्पादन कारखाना निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुये आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग को भूखण्ड स्वामी द्वारा करना होगा।

22 प्रतिबन्ध यह रहेगा कि जिला पंचायत, गोण्डा की मानचित्र उपविधि के प्राविधानों के अन्तर्गत भूखण्ड स्वामी को भूखण्ड का प्रयोग व्यवसायिक प्रयोजन में ही करना होगा।

23 विकास प्राधिकरण की अनुसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण हेतु निर्धारित भूमि होने के तथ्य को स्वामी द्वारा छिपाने पर मानचित्र की प्रदत्त स्वीकृति स्वतः ही अस्वीकृति मानी जायेगी।

24 समस्त निर्माण कार्य उक्त शर्तो के साथ–साथ जिला पंचायत, गोण्डा की प्रचलित उपविधि के अनुसार ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार नहीं होगा।

25 भूमि स्वामित्व सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, गोण्डा का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का पालन न करने पर जिला पंचायत, गोण्डा द्वारा दी गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी।

अभियन्ता
जिला पंचायत, गोण्डा

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गोण्डा।